राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

सीन अधिकारी :– बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

ा संख्या :– 219/2024 प्रा० फा

कामा S/o कल्ला बलाई नि० चितामा - तह० करेड़ा — प्रार्थी

बनाम

लच्छूराम S/o भोगीराम बलाई नि० चितामा - तह० करेड़ा - आदि — विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: — दिनांक 6/8/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर न किया कि ग्राम चितामा पटवार हल्का चितामा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता 194 आराजी नम्बर 3282/1, 3283/1, 3285/1, 3286/1,
....
....
कता 4 रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी विया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने / संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20/6/24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को ाकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........ चितामा पटवार हल्का चितामा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 194 आराजी नम्बर 3282/1, 3283/1, 3285/1, 3286/1,
....
नकिता 4 रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक चितामा को 500/– रुपये कमिश्नर फीस पर मिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर तकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

ंलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा